

**POLICY ON
AUDIT
MECHANISM**

**PROVISIONS
AS PER
UNIVERSITY
ACT**

CHHATTISGARH ACT

(No. 26 of 2004)

**PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH
ACT, 2004**

An Act to establish and incorporate an open University, at State level for introduction and promotion of open university and distance education system, in the field of higher education and to provide for matters connected there with or incidental there to.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the 55th year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement

- (1) This Act may be called the Pandit Sundar Lal Sharma (Open) University Chhattisgarh Adhiniyam, 2004;
- (2) It extends to the whole of Chhattisgarh;
- (3) It shall come into force on the date of its publication in official gazette.

2. Definitions

In this Act and the Statute, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (b) "Co-ordination Committee" means the committee established under section 34 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No.22 of 1973);
- (c) "Department" means a department of the University of the subject concerned;
- (d) "Distance education system" means the system of imparting education through any means of communication, such as broadcasting, telecasting, audio visual means, audio methods, correspondence course, seminar, contact programme or the combination of any two or more of such means;
- (e) "Employee" means any person appointed by the University, includes teachers and other academic staff of the University;
- (f) "Finance Committee" means the Finance Committee of the University;
- (g) "Indira Gandhi National Open University" means the University established under Section 3 of the Indira Gandhi National Open University Act, 1985 (No. 50 of 1985);
- (h) "Kulpati" means the Kulpati of the University;
- (i) "Ordinance" means ordinance made under this act;
- (j) "Planning Board" means the Planning Board of the University;
- (k) "Regional Centre" means a centre established or maintained by the University for the purpose of coordinating and supervising the work of study centres in any region and for performing such other functions as may be conferred

on such centre by the Executive Council;

(l) "Regulation" means the Regulation made under this Act;

(m) "Statute" means Statute made under this act;

(n) "Student" means a student of the University, and includes any person who has enrolled himself for pursuing any course of study of the University;

(o) "Study Centre" means a centre established, maintained or recognised by the University for the purpose of advising, counselling or for rendering any other assistance required by the students;

(p) "Teacher" means Professor, Reader, Assistant-Professor and such other persons as may be designated as such by the Ordinance for imparting instruction in the University or for giving guidance or rendering assistance to student for pursuing any course of study of the University and shall include part-time and whole time teachers in Regional Centre, or Study Centre;

(q) Terms not defined in this Act, will have the same meaning as defined in Section 4 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973);

(r) "University" means the Pandit Sundar Lal Sharma (Open) University Chhattisgarh established under this Act;

(s) "University Grants Commission" means the Commission established under the University Grants Commission Act, 1956 (No.3 of 1956);

3. Establishment and incorporation of the University

- (1) There shall be established a University by the name. "PANDIT SUNDAR LAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH "
- (2) The headquarters of the University shall be at Bilaspur and it may establish or maintain Regional Centres, and Study Centres at such places as it may deem fit.
- (3) First Kulpati & members of, first Executive Council, the Academic Council and the Planning Board and all persons who may hereafter become such officers or members, so long as they continue to hold such office or membership, shall hereby constitute a body corporate by the name of **■Pandit Sundar Lal Sharma (Open) University Chhattishgarh ■**.
- (4) The University shall have perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

4. The objects of the University

The objects of the University shall be-

(one) to advance and disseminate learning and knowledge by different means, including the use of any communication technology;

(two) to provide opportunities for higher education to a larger segment of the population and to promote the educational well being of the community in general;

(three) to encourage the open University and distance education systems in the educational pattern of the State.

5. Powers of the University

(1) The University shall have the following powers, namely:

(one) provide for instruction in such branches of knowledge, technology, vocations and professions as the University, may determine from time to time and to make provision for sponsored research;

(two) plan and prescribe courses of study for degree, diploma, certificate or for any other purpose;

(three) hold examinations and confer degree, diploma, certificate or other academic distinctions or recognitions on persons who have successfully completed a course of study in the manner laid down by the Statute and Ordinance;

(four) determine the manner in which distance education in relation to the academic programmes of the University may be organised;

(five) create posts of Professor, Reader, Assistant Professor and other academic positions necessary to impart instruction or for preparing educational material or for conducting other academic activities, including guidance, designing and delivery of courses and evaluation of the work done by the student and to appoint on those posts;

(six) co-operate with, and seek the co-operation of, other Universities and institutions of higher learning, professional bodies and organisations for such purposes as the University considers necessary;

(seven) institute and award fellowships, scholarships, prizes and such other awards for recognition of merit as the University may deem fit;

(eight) establish and maintain such Regional Centres, as may be determined by the University from time to time;

(nine) establish, maintain or recognise Study Centres in the manner laid down by the Statute;

(ten) provide for the preparation of instructional material, including films, cassettes, tapes video cassettes and other software;

(eleven) organise and conduct refresher courses, workshops, seminars and other programmes for teachers, lesson writers, evaluators and other academic staff;

(twelve) recognise examinations of, or periods of study, (whether in full or part) at, other universities, institutions or other place of higher learning as equivalent to examination or periods of study in the University, and to withdraw such recognition at any time;

(thirteen) make provision for sponsored research and development in education technology and related matters;

(fourteen) create administrative, ministerial and other necessary posts and to make appointments thereto;

(fifteen) receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, maintain and dispose off any property movable or immovable, including trust property to the benefit of the University;

(sixteen) borrow, with the prior approval of the State Government whether on the security of the property of the University or otherwise, money for the purposes of the University;

(seventeen) enter into, carry out, vary or cancel contracts;

(eighteen) to demand and receive such fees and other charges as may be prescribed by the Ordinance;

(nineteen) provide, control and maintain discipline amongst the students and all categories of employees and to lay down the conditions of service of such employees, including their code of conduct;

(twenty) appoint, either on contract or otherwise, Visiting Professors, Emritus Professors, Consultants, fellows, scholars, artists, course writers and such other persons who may contribute to the advancement of the subjects of the University;

(twenty one) recognise persons working in other universities, institutions or organisations as teachers of the University on such terms and conditions as may be prescribed by the Ordinance;

(twenty two) determine standard and to specify condition for the admission of students to courses of study of the University which may include examination, evaluation and any other method of testing;

(twenty three) make arrangements for the promotion of the general

health and welfare of the employees;

(twenty four) do all such acts as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University as are necessary and conducive to the promotion of all or any of the objects of the University.

(2) Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, but without prejudice to the provisions of sub-section (1), it shall be the duty of the University to take all such steps as it may deem fit for the promotion of the University and the distance education systems and for the determination of standards of teaching, evaluation and research in such systems. In carrying out its objects the University shall strive for cooperation with the Indira Gandhi National Open University and shall observe, to the extent feasible, the educational norms and standards prescribed by it for open learning systems.

6. University open to all classes, castes and creeds

The University shall not discriminate against any citizen of India on grounds of religion, race, caste, sex, place of birth or language.

7. Officers of the University

The following shall be the officers of the University:-

(one) The Kuladhipati

(two) Kulpati

(three) Registrar

(four) Regional Director

(five) Finance Officer and

(six) such other Officers as may be declared by the Statute to be the officers of the University.

8. The Kuladhipati

(1) The Governor of Chhattisgarh shall be the the Kuladhipati of the University.

(2) Subject to the provisions of sub-sections (3) and (4), the Kuladhipati shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, to the University, its buildings, laboratories and equipment, and of any Regional Centre, a Study Centre and also of the examination, instruction and other work conducted or done by the University, and to cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration and finances of the University.

(3) Where an inspection or inquiry has been ordered by the Kuladhipati, the University may depute representative to represent the University in such in-

spection or inquiry.

- (4) The Kuladhipati may address the Kulpati with reference to the results of such inspection or inquiry together with views and advice with regard to the action to be taken thereon as the Kuladhipati may be pleased to offer and on receipt of the address made by the Kuladhipati, the Kulpati shall communicate forthwith to the Executive Council the results of the inspection or inquiry and the views of the Kuladhipati and the advice tendered by him upon the action to be taken thereon.
- (5) Where the Executive Council does not within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Kuladhipati, the Kuladhipati may, after considering any explanation furnished or representation made by the Executive Council, issue such directions as he may think fit and the Executive Council shall be bound to comply with such directions.
- (6) Without prejudice to the foregoing provisions of this section the Kuladhipati may, by an order in writing, annul any proceedings of the University which is not in conformity with this Act, Statute or Ordinance.

Provided that before making any such order, he shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and if any cause is shown within a reasonable time, he shall consider the same.

- (7) The Kuladhipati shall have such other powers as may be specified by the Statute.

9. Kulpati

- (1) Kulpati shall be appointed by the Kuladhipati under the doctrine of pleasure after consultation with the state government from a panel of not less than three distinguished persons recommended by the search committee constituted under sub section (2) or (6)

Provided further if the person so approved by the Kuladhipati refuses to accept the proposal of appointment, the Kuladhipati shall ask for fresh recommendation from search committee.

Provided that the first Kulpati shall be appointed by Kuladhipati after consultation of the state government

- (2) The Kuladhipati shall constitute a search committee consisting of the following persons namely.

- (one) one person recommended by the Executive council;
 (two) one person nominated by the Speaker of the Chhattisgarh Legislative Assembly;
 (three) one person nominated by the Kuladhipati.
 and he shall appoint one of them as chairperson of the

committee.

- (3) For constituting the committee under subsection(2), the Kuladhipati shall, six-months before the expiry of the term of Kulpati, call upon the executive council and the speaker of the Chhattisgarh Legislative Assembly to choose their nominees and if any or both of them fail to do so within one month of the receipt of the Kuladhipati's communication in this regard, the Kuladhipati may further, nominate any one or both the persons as the case may be.
- (4) No person who is connected with the university or a college shall be recommended or nominated on the committee constituted under subsection (2).
- (5) The committee shall submit the panel within six weeks from the date of its constitution or such further time not exceeding four weeks as may be extended by the Kuladhipati.
- (6) If for any reasons the committee constituted under subsection (2) fails to submit the panel within the period specified in subsection (5), the Kuladhipati shall constitute another committee consisting of three educationists not connected, with the university or a college, one of whom shall be designated as the chairman.
The committee so constituted shall submit a panel of three persons within a period of six weeks or such shorter period as may be specified, from the date of its constitution.
- (7) If the committee constituted under subsection (6) fails to submit the panel within the period specified there in the Kuladhipati shall appoint any educationist to be Kulpati after consultation with the state government.
- (8) To carry out the business of newly established university the State Government may appoint Kulpati, a person from the field of Education for a period not exceeding two years and the person so appointed shall constitute Executive Council, Academic Council and other Authorities of the University within a period of six months from the date of establishment of the University and till the said authorities are constituted, Kulpati shall be deemed to be the Executive Council, Academic Council or such other Authority, as the case may be, and shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed on such authorities by or under this Act.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary or expedient so to do, appoint a committee, after consultation with the State Government, consisting of an educationist and an administrative expert and financial expert to aid and advise Kulpati in the exercise of his powers and performance of functions.

- (9) Kulpati shall be a whole-time salaried officer of the University and his

emoluments and other terms and conditions of service shall be prescribed by the Statute.

- ✓ (10) Kulpati shall hold office for a term of four years or till he attains the age of 70 years whichever is earlier and shall not be eligible for appointment for more than two terms.

Provided that notwithstanding the expiry of his term he shall continue to hold office until his successor is appointed and enters upon his office but this period shall not, in any case, exceed six months.

- ✓ (11) If at any time upon representation made or otherwise and after making such enquiries as may be deemed necessary, it appears to the Kuladhipati that Kulpati.—

- (a) has made default in performing any duty imposed on him by or under this Act; or
- (b) has acted in a manner prejudicial to the interest of the University; or
- (c) is incapable of managing the affairs of the University, the Kuladhipati may notwithstanding the fact that the term of office of Kulpati has not expired, by an order, in writing, stating the reasons therein, require Kulpati to relinquish his office as from such date as may be specified in the order.

✓ (12) No order under sub-section (11) shall be passed unless the particulars of the grounds on which such action is proposed to be taken are communicated to Kulpati and he is given a reasonable opportunity of showing cause against the proposed order.

✓ (13) As from the date specified in the order under sub-section (11), Kulpati shall be deemed to have relinquished the office and the office of Kulpati shall fall vacant.

✓ (14) In the event of the occurrence of any vacancy including a temporary vacancy in the office of Kulpati by reason of his death, resignation, leave, illness or otherwise, dean of any faculty nominated by the Kuladhipati for that purpose shall act as Kulpati until the date on which Kulpati appointed under sub-section(1) or sub-section(7) enters, as the case may be, upon office;

Provided that the arrangements contemplated in this sub-section shall not continue for a period of more than six months.

✓ (15) Kulpati shall be the Chief Executive and Academic Officer of the University. He shall be an ex-officio member and Chairman of the Executive Council and of the Academic Council, and Chairman of such other authorities, committees or bodies of the University of which he is a member. He shall be entitled to be present and to speak at any meeting of any authority, committee or other body of the University, but shall not be entitled to vote unless he is a member of the authority, committee or body concerned.

✓ (16) It shall be the duty of Kulpati to ensure that this Act, the Statute, the Ordinance and the Regulation are faithfully observed and he shall have all powers necessary for this purpose.

(17) Kulpati shall have power to call the meetings of the Executive Council or Academic Council and any other authority of which he is the chairman or he can delegate this power to any other officer.

(18) If in the opinion of Kulpati any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, Kulpati shall take such action as he deems necessary and shall, at the earliest opportunity thereafter, report his action to such officer, authority, committee or other body as would have in the ordinary course dealt with the matter;

Provided that the action taken by Kulpati shall not commit the University to any recurring expenditure for a period of more than three months;

Provided further that where any such action taken by Kulpati affects any person in the service of the University, such person shall be entitled to prefer, within thirty days from the date on which such action is communicated to him, an appeal to the Executive Council;

Provided also that this power shall not extend to matters regarding amendment in Ordinance, Statute, Regulation or any matter relating to appointments.

(19) On receipt of report under sub-section (18) if the authority, committee or body concerned does not approve the action taken by Kulpati it shall refer the matter to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

(20) The action taken by Kulpati under sub-section (18) shall be deemed to be the action taken by the appropriate authority until it is set aside by the Kuladhipati on a reference made under sub-section (19) or is set aside by the Executive Council on an appeal under the second proviso of sub-section (18).

(21) If in the opinion of Kulpati, any proceeding of any authority, committee or other body of the University is likely to be prejudicial to the interest of the University, he shall record his reason and refer the matter to the Kuladhipati and also inform the authority, committee or other body concerned shall not be given effect to till the matter is decided by the Kuladhipati under sub-section (18) of Section 9.

(22) Kulpati shall exercise general control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of the authorities of the University.

(23) Kulpati shall exercise such other powers as may be prescribed by the Statute, Ordinance and Regulation.

10. Registrar

(1) Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed by the Statute.

(2) Registrar empowered by the Executive Council shall have the powers to enter into, and sign, agreements and authenticate records on behalf of the University.

(3) Registrar shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statute.

(4) The first Registrar will be appointed by Government of Chhattisgarh on

deputation for 2 years.

11. Finance Officer

- (1) Finance Officer shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such functions as may be prescribed by the Statute.
- (2) Finance Officer shall be appointed by Govt. of Chhattisgarh on deputation.

12. Regional Directors

Every Regional Director shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed by the Statute.

13. Other Officers

The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be prescribed by the Statute.

14. Authorities of the University

The following shall be the authorities of the University

- (1) Executive Council;
- (2) Academic Council;
- (3) Planning Board;
- (4) Departments;
- (5) Board of Studies;
- (6) Finance Committee; and
- (7) Such other authorities as may be declared by the Statute to be the authorities of the University.

15. Executive Council

- (1) Executive Council shall be the principal executive body of the University, which shall consist of not more than thirteen members out of which not more than seven shall be Government Officers.
- (2) The constitution of Executive Council, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statute.

16. Academic Council

- (1) Academic Council shall be the Principal Academic body of the University which shall consist of not more than fifteen members out of which not more than four shall be Government Officers and shall, subject to the provisions of this Act, the Statute and Ordinance, have the control and general regulation of, and be responsible for, maintenance of standard of research, learning, education, instruction, evaluation and examination within the

University and shall exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed upon it by the Statute.

(2) The constitution of the Academic Council and the term of office of its members shall be prescribed by the Statute.

17. Planning Board

(1) There shall be a Planning Board of the University which shall consist of not more than nine members out of which not less than three shall be Government officers. It shall be the principal planning body of the University and shall also be responsible for the monitoring of the development of the University, on the lines indicated in the objects of the University.

(2) The constitution of Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by the Statute.

18. Departments

(1) There shall be such number of Departments as the University may determine from time to time.

(2) The constitution, powers and functions of the Departments shall be prescribed by the Statute.

19. Board of Studies

(1) There shall be a Board of Studies for every subject or group of subjects as may be prescribed by the Statute.

(2) The constitution of the Board of Studies, the term of office of its members and its powers and functions shall be prescribed by Statute.

20. The Finance Committee

(1) The constitution, powers and functions of the Finance Committee shall be prescribed by the Statute.

(2) No decision involving financial implications shall be taken by any authority of the University without prior concurrence of the Finance Committee.

21. Other authorities

The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be authorities of the University shall be prescribed by the Statute.

22. University Fund

(1) The University shall establish a Fund to be called the University fund.

(2) The following shall form part of or be paid into the University Fund.

(a) any loan, contribution or grant by Central or State Government or any

body corporate;

(b) trusts, bequests, donations, endowments and other grants, if any;

(c) the income of the University from all sources including income from fees and charges;

(d) all other sums received by the University.

(3) The University Fund shall be kept in any nationalised Bank.

23. Objects to which University Fund may be applied

(1) The University fund shall be applicable to the following objects:-

(a) repayment of debts incurred by the University for the purposes of this Act and the Statute Ordinance and Regulation made thereunder;

(b) up-keep of the property of the University including the departments, regional centres, study centres, and the hostels;

(c) payment of cost of audit of the University Fund;

(d) expenses of any suit or proceedings to which University is a party;

(e) payment of salaries and allowances of the teaching and non-teaching staff of the University, Regional study centres and departments maintained by the University and in furtherance of the purposes of this Act, Statute, Ordinance, and Regulation made thereunder and to the payment of other benefits;

(f) payment of travelling and other allowances of the members of the authorities of the University in pursuance of any provisions of this Act and the Statute Ordinance and Regulation made thereunder;

(g) payment of fellowships, scholarships and other awards to the students;

(h) payment of any expenses incurred by the University in carrying out the provisions of this Act and the Statute, Ordinance, and Regulation made thereunder;

(i) payment of any other expenses not specified in any of the preceding clauses declared by the Executive Council to be the expense for the purposes of the University.

(2) No expense shall be incurred by the University in excess of the limits for total recurring and non-recurring expenditure for the year fixed by the Executive Council.

(3) No expenditure other than that provided for in the budget shall be incurred by the University without the previous approval of the Executive Council.

24. Co-ordination Committee

(1) Co-ordination Committee established under the Vishwaavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) shall exercise the powers and perform the functions enumerated in Section 34 of the said Act.

(2) Kulpati shall be ex-officio member of the Coordination Committee.

25. Statute

Subject to the provisions of this Act, the Statute may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (a) the manner of appointment of Registrar, Finance Officers, Regional director and other officer, emoluments and other conditions of their service and the powers and functions that may be exercised and performed by each of the officers;
- (b) constitution of Executive Council and other authorities of the University, the terms of office of the members of such authorities and the powers and functions that may be exercised and performed by such authorities;
- (c) appointment of examiners and moderators;
- (d) appointment of teachers and other employees of the University, their emoluments and other conditions of service;
- (e) principles governing the seniority of service of the employees of the University.
- (f) procedure in relation to any appeal or application for review by any employees or student of the University against the action of any officer or authority of the University, including the time within which such appeal or application for review shall be preferred or made;
- (g) forum and procedure for the settlement of disputes between the employees or students of the University and the University;
- (h) the co-ordination and determination of standards in University;
- (i) all other matters which by the Act are to be, or may be provided by the Statute.

26. Statute how made

- (1) The first statute shall be framed by the State Government and the State Government may ammend the first statute as may be necessary.
- (2) The authorities may from time to time, amend or repeal any statute, except first statute.
- (3) The authority may- on its own motion; or otherwise take into consideration the draft of a Statute.

Provided that nothing in this clause shall apply in respect of statutes other than those affecting the emoluments of Kulpati, Registrar and other officers of the University.

- (4) Where a draft is proposed by the authority under this section it shall be

referred to the Executive Council for consideration and the Kuladhipati may, after considering the views, if any, of the Executive Council that may be received within such period not less than thirty days as the Kuladhipati may specify approve such draft with or without modifications and pass the Statute;

(5) Where a draft is proposed by the Executive Council the Kuladhipati may approve of such draft and pass the Statute or reject it or return it to the Executive Council for reconsideration either in whole or in part together with any amendment which he may suggest.

(6) After any draft returned under sub-section (5) has been further considered by the Executive Council together with any amendment suggested by the Kuladhipati, it shall again be presented to the Kuladhipati with a report of the Executive Council thereon and the Kuladhipati may approve or reject the Statute.

(7) The Kuladhipati shall not take into consideration, nor the Executive Council shall propose the draft of any Statute or of any amendment of a Statute or of the repeal of any Statute affecting the status, power or constitution of any authority of the University until such authority has been given an opportunity of expressing an opinion upon the proposal.

(8) The Kuladhipati may approve the statute and they shall become effective from such date as the Kuladhipati may specify.

27. Ordinance

(1) Subject to the provisions of this Act and the Statute the Ordinance may provide for all or any of the following matters, namely.

(a) admission of students, courses of study and fees thereof, qualifications pertaining to degrees, diplomas, certificates and other courses, conditions for the grant of fellowships, awards and the like;

(b) conduct of examinations, including the terms and conditions and appointment of examiners and moderators;

(c) any other matter which by this Act or the Statute is to be or may be provided for by the Ordinance.

(2) The first Ordinance shall be made by Kulpati with the previous approval of the State Government and the Ordinance so made may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner prescribed by the Statute.

28. Regulation

- (1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statute and the Ordinance for the conduct of their own business and that of the Committee, appointed by them and not provided for by this Act, the Statute or the Ordinance in the manner prescribed by the Statute.
- (2) Regulation made shall be placed before the Kuladhipati for his approval and shall be effective from the date of its approval.

29. Annual report

- (1) Annual report of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfilment of its objects.
- (2) Annual report so prepared shall be submitted to the Kuladhipati and the State Government on or before such date as may be prescribed by the Statute and a copy of the annual report of the University shall be laid on the table of the Legislative Assembly by the State Government.

30. Annual accounts

- (1) The annual accounts of the University shall be prepared under the directions of the Executive Council and shall be audited by the examiner of local fund account.
- (2) A copy of the accounts together with the audit report shall be submitted to the Kuladhipati along with the observation if any, of the Executive Council.
- (3) Any observations made by the Kuladhipati on the annual accounts shall be brought to the notice of the Executive Council and the views of the Executive Council if any, on such observations, shall be submitted to the Kuladhipati.
- (4) A copy of the accounts together with the audit report, as submitted to the Kuladhipati shall also be submitted to the State Government.

A copy of the accounts together with the audit report as submitted to the State Government shall be laid on the table of the Legislative Assembly by the State Government as soon as possible.

31. Conditions of service of employees

- (1) Every employee of the University shall be appointed under a written contract and such contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, Statute and Ordinance.
- (2) The contract referred to in sub-section (1), shall be lodged with the University a copy of which shall be furnished to the employee concerned.

32. Adjudication of
Dispute

Any dispute arising out of contract between the University and any of its officers or teachers shall be adjudicated upon by Kulpati and appeal against decision shall lie to, the Kuladhipati or to a body which may be constituted by him.

33. Disputes as to the
constitution of the Uni-
versity authorities and
bodies

If any question arises as to whether any person has been duly appointed or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Kuladhipati whose decision thereon shall be final.

34. Filling of casual
vacancies

Save as otherwise provided in this Act all casual vacancies of the members other than ex-officio members of any authority, committee or other body of the University shall be filled, as soon as possible for remaining unexpired period in accordance with the procedure.

35. Proceedings of the
University authorities or
bodies not invalidated by
vacancies

No Act or Proceedings of any authority or any other body shall be invalidated merely by reason of the existence of any vacancy or vacancies among its members.

36. Protection of action
taken in good faith

No suit or other legal proceedings shall lie against any officer, teacher or other employee of the University for any thing which is in good faith done or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act or the Statute, Ordinances or Regulation.

37. Power to remove
difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulties.

38. Transitional
provisions

Notwithstanding any thing contained in this Act and the Statute;

(a) The State Government shall appoint an officer on special duty for a term not exceeding two years. The terms and conditions of the officer on special duty shall be stated in his letter of appointment;

(b) The officer on special duty shall have powers of Kulpati;

(c) the first Executive Council shall consist of not more than fifteen members who shall be nominated by the Kuladhipati on the advice of the State Government and they shall hold office for a term of three years; and

(d) (i) the first planning Board shall consist of not more than eleven members who shall be nominated by the Kuladhipati on the advice of the State Government and they shall hold office for a term of three years;

(ii) the planning Board shall, in addition to the powers and functions conferred on it by this Act, exercise the powers of the Academic Council and the Board of Studies until the Academic Council and the Board of Studies are constituted under the provisions of this Act and the Statutes, and in the exercise of such powers, the Planning Board may co-opt such members as it may decide.

39. State government to assume financial control in certain circumstances

(1) If the State Government is satisfied that owing to maladministration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may by notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, in the first instance, remain in operation for a period of one year from the date specified in the notification and the State Government may, from time to time, by notification, extend the period of operation by such further period as it may think fit, provided that the total period of operation does not exceed three years.

(3) During the period of the notification issued under sub-section (1) the executive authority of the State Government shall extend to give directions to the said University to observe such canons of financial propriety as may be specified in the direction and to give such other directions as the State Government may deem necessary and adequate for the purpose.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, any such direction may include:-

(one) a provision requiring the submission of the budget to the State Government for sanction;

(two) a provision requiring the University to submit every proposal involving financial implications to the State Government for sanction;

(three) a provision requiring the submission of every proposal for the revision of pay scale and rate of allowances of the officers, teachers, and other persons employed by the University to the State Government for the sanction;

(four) a provision requiring the deduction of salaries and allowances of all or any class of persons employed by the University;

(five) a provision requiring the deduction in the number of posts of the officers, teachers and other persons employed by the University;

(six) a provision requiring the lowering down of scales of pay and rate of allowances, and

(seven) a provision in regard to such other matters as may have the effect of reducing the financial strain on the University.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, and administrative expert and

a financial expert to assist Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Notwithstanding any thing contained in this Act., it shall be binding on every authority of the University and every officer of the University to give effect to the direction given under this section.

(6) Every officer of the University shall be personally liable for misapplication of any fund or property of the University as a result of non-compliance of the direction given under this section to which he shall have been a party or which shall have happened through or been facilitated by gross neglect of his duty as such officer, and the loss so incurred shall, on a certificate issued by the Secretary, Higher Education be recovered from such officer as an arrears of land revenue.

Provided that no action to recover the amount of loss as arrear of land revenue shall be taken until reasonable opportunity has been given to the person concerned to furnish explanation and such explanation has been considered by the State Government.

40. Powers of State Government to apply Act in modified form with a view to provide for better administration of University in certain circumstances

(1) If the State Government on receipt of a report or otherwise, is satisfied that a situation has arisen in which the administration of the University cannot be carried out in accordance with the provisions of the Act, without detriment to the interests of the University and it is expedient in the interest of the University so to do, it may by notification, for reasons to be mentioned therein, direct that the provisions of Sections 9, 15, 16 to 20, 28, 29, 30 and 37 shall as from the date specified in the notification (hereinafter in this Section referred to as the appointed date) apply to the University.

(2) The Notification issued under sub-section(1) shall remain in operation for a period of one year from the appointed date and the State Government may, from time to time, extend the period of such further period as it may think fit so, however that the total period of operation of the notification does not exceed three years.

(3) The Kuladhipati shall simultaneously with the issue of the notification, appoint Kulpati under Sections 9 and Kulpati so appointed shall hold office during the period of operation of the notification.

Provided that Kulpati may, notwithstanding the expiration of the period of operation of the notifications, continue to hold office thereafter until his successor enters upon office but this period shall not exceed one year.

(4) As from the appointed date, the following consequences shall ensue, namely:-

(one) Kulpati, holding office immediately before, the appointed date, shall notwithstanding that his term of office has not expired, vacate his office.

(two) every person holding office as a member of the Executive or the Academic Council, as the case may be immediately before the appointed date shall cease to hold that office;

(three) until the, executive Council or Academic Council, as the case may be is reconstituted in accordance with the provisions as modified, Kulpati

appointed under Section 9 as modified, shall exercise the powers and perform the duties conferred or imposed by or under this Act, on the Executive Council or Academic Council.

Provided that the Kuladhipati may, if he considers it necessary so to do, appoint a committee consisting of an educationist, an administrative expert and a financial expert to assist Kulpati so appointed in exercise of such powers and performance of such duties.

(5) Before the expiration of the period of operation of the notification or immediately as early as practicable, thereafter, Kulpati shall take steps to constitute Executive Council and Academic Council in accordance with the provisions of the Act, as unmodified and the Executive Council and Academic Council as so constituted shall begin to function on the date immediately following the date of expiry of the period of operation of the notification of the date on which the respective bodies are so constituted whichever is later.

Provided that if the Executive Council and Academic Council are not constituted before the expiration of the period of operation of the notification, Kulpati shall on such expiration, exercise the powers of each of these authorities subject to prior approval of the Kuladhipati till the Executive Council or Academic Council, as the case may be, is so constituted.

41. Effect on expiration of the period of operation of notification under section 40

On expiration of the period of operation of the notification issued under Section 40, the provisions of this Act, as modified in application to the University mentioned in the notification shall cease to operate in respect thereof and the other relevant provisions of this act shall revive and continue to apply thereto.

Provided that the expiration of the operation of the notification shall not affect :-

(a) previous operation of or anything done or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or

(b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the provisions as modified or any order made thereunder; or

(c) any investigation or remedy in respect of any such right, privilege, obligation or liability as aforesaid and such investigation or remedy may be instituted or enforced as if the modified provisions had not ceased to apply.

This bill has been passed by Chhattisgarh Vidhan Sabha on thursday dated 02 December, 2004-

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2006)

PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH
(AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

1. (1) This Act may be called the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh (Amendment) Act, 2006. Short title, extent and commencement.
- (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.
- (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. In this Act, unless the context otherwise requires;— Definition.
"Principal Act" means Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004).

3. In sub-section (8) of Section 9 of the Principal Act, for the word "two" the word "Five" shall be substituted. Amendment of Section 9.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पञ्जीयन क्रमांक “छत्तीसगढ़/दुर्गा/
गज. 114-009/2003/20-01-03.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 219]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 31 अगस्त 2006—भाद्र 9, शक 1928

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11176/289/21-अ/प्रारूपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 28-8-2006 का राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 23 सन् 2006)

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन)
अधिनियम, 2006

पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) में संशोधन हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- | | | | |
|----------------------------|----|--|--|
| संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2006 है. |
| | | (2) | इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा. |
| | | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| परिभाषा. | 2. | इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— | |
| | | (एक) | “मूल अधिनियम” से अभिप्रेत है, पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004). |
| धारा-9 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा-9 की उपधारा (8) में शब्द “दो” के स्थान पर शब्द “पांच” प्रतिस्थापित किया जाय. | |

रायपुर, दिनांक 31 अगस्त 2006

क्रमांक 11176/289/21-अ/प्रारूपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में पंडित सुन्दर लाल शर्मा, (मुक्त) विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2006 (क्र. 23 सन् 2006) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 23 of 2006)

PANDIT SUNDARLAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY CHHATTISGARH
(AMENDMENT) ACT, 2006

An Act to amend the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-seventh year of the Republic of India, as follows :—

- | | | | |
|----|-----|--|---------------------------------------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh (Amendment) Act, 2006. | Short title, extent and commencement. |
| | (2) | It extends to the whole State of Chhattisgarh. | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | |
| 2. | | In this Act, unless the context otherwise requires;— | Definition. |
| | | "Principal Act" means Pandit Sundarlal Sharma (Open) University Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004). | |
| 3. | | In sub-section (8) of Section 9 of the Principal Act, for the word "two" the word "Five" shall be substituted. | Amendment of Section 9. |

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 17 मई 2010—वैशाख 27, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5185/114/21-अ/प्रा./छ. ग./10.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 06-05-2010 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 8 सन् 2010)

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन)
अधिनियम, 2010

पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) में और संशोधन करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित है :—

- | | | | |
|-------------------------------------|----|---|--|
| संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. | 1. | (1) | यह अधिनियम पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010 कहलाएगा. |
| | | (2) | इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा. |
| | | (3) | यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा. |
| धारा 9 का संशोधन. | 2. | पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ अधिनियम, 2004 (क्रमांक 26 सन् 2004) (जो इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 9 की उप-धारा (8) में शब्द "जो पांच वर्ष से अधिक अवधि की नहीं होगी" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष की अवधि के लिये अथवा 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद धारण करेगा" प्रतिस्थापित किया जाए. | |
| धारा 9 का संशोधन. | 3. | मूल अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (10) में शब्द "चार वर्ष की अवधि के लिये" के स्थान पर "पांच वर्ष की अवधि के लिये" प्रतिस्थापित किया जाए. | |
| निरसन. | 4. | पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अध्यादेश, 2009 (क्रमांक 3 सन् 2009) एतद्वारा निरसित किया जाता है. | |

रायपुर, दिनांक 14 मई 2010

क्र. 5185/114/21-अ/प्र./छ. ग./... — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में पंडित सुन्दर लाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 8 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. तिवारी, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 8 of 2010)

PANDIT SUNDER LAL SHARMA (OPEN) UNIVERSITY, CHHATTISGARH
(SANSHODHAN) ACT, 2010

An Act further to amend the Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University, Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004).

Be it enacted by Chhattisgarh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India, as follows :-

- | | | | | |
|----|-----|--|--|-----------|
| 1. | (1) | This Act may be called the Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University, Chhattisgarh (Sanshodhan) Act, 2010. | Short title, extent and commencement. | |
| | (2) | It extends to the whole State of Chhattisgarh. | | |
| | (3) | It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette. | | |
| 2. | | In the sub-section (8) of Section 9 of Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University, Chhattisgarh Act, 2004 (No. 26 of 2004) (hereinafter referred to as the Principal Act), the words "for a period not exceeding five years" shall be substituted by the words "who shall hold office for a term of five years or till he attains the age of 70 years whichever is earlier". | Amendment of Section 9. | of |
| 3. | | In the sub-section (10) of Section 9 of the Principal Act the words "for a term of four years" shall be substituted by the words "for a term of five years". | Amendment of Section 9. | of |
| 4. | | The Pandit Sunder Lal Sharma (Open) University Chhattisgarh (Amendment) Ordinance, 2009 (No. 03 of 2009) is hereby repealed. | Repeal. | |

**LOCAL
FUND AUDIT
RULES**

6.4.1. Audit Rules

छत्तीसगढ़ अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 विषय - सूची

धाराएं	विषय	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.....	4
2.	परिभाषाएं	4
3.	संपरीक्षा प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति	5
4.	संपरीक्षा के लिये लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना तथा संपरीक्षा फीस का भुगतान	6
5.	संपरीक्षा के लिये लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि	6
6.	दस्तावेजों की प्रस्तुति तथा संबंधित व्यक्तियों की हाजिरी अपेक्षित करने की संपरीक्षक की शक्ति.....	6
7.	धारा 6के अधीन की गई अध्यक्षता की अवज्ञा करने के लिये शास्ति	7
8.	संपरीक्षा-रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों को भेजी जायेगी	7
9.	संपरीक्षा-रिपोर्ट की विषय वस्तु	7
10.	स्थानीय प्राधिकारी त्रुटियों को दूर करेगा. धारा 8 के अधीन संचालक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण को जाने वाली प्रक्रिया	7
11.	संचालक अवैध संदाय के लिये या घोर उपेक्षा या अपचार द्वारा कारित हानि के लिये प्रभारित करेगा तथा प्रभार का स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन-रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाना	9
12.	प्रथम अपील	10
13.	द्वितीय अपील	11
14.	वसूली रोकने का निर्देश देने की शक्ति.....	11
15.	प्रभारों की भू-राजस्व के बकाया की भांति वसूली.....	11
16.	प्रभारों आदि का भुगतान	11
17.	शक्तियों का प्रत्यायोजन	11
18.	संचालक, संपरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे	11
19.	वादों का वर्जन	11
20.	सदभावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये संरक्षण	12
21.	इस अधिनियम को अन्य निगमित निकायों तथा अनिगमित निकायों पर लागू करने की शक्ति	12
22.	नियम बनाने की शक्ति	12
23.	निरसन	13
	अनुसूची	14 से 16
	परिशिष्ट एवं अधिसूचनाएं	17 से 24

VERIFIED

REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

FINANCE OFFICER
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University, Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

Dr. Prakriti James
Incharge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur

छत्तीसगढ स्थानीय निधि संपरीक्षा नियम, 1974
विषय - सूची

धाराएं	विषय	पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम.....	26
2.	परिभाषायें	26
3.	संपरीक्षकों की नियुक्ति	26
4.	धारा 6 के अधीन अध्यक्षपेक्षा करने की रीति	26
5.	अध्यपेक्षा का अभिलेख तथा तामिल	26
6.	अध्यपेक्षा के अनुपालन की रिपोर्ट	26
7.	संपरीक्षा प्रारंभ करने की सूचना	27
8.	कार्यालय समय के दौरान संपरीक्षा का संचालन	27
9.	संपरीक्षा संचालित करने हेतु सुविधायें.....	27
10.	संपरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का हटाया जाना.....	27
11.	संपरीक्षक का, पदाधिकारियों के साथ पत्र व्यवहार.....	27
12.	संपरीक्षक का समय	27
13.	संपरीक्षा के अंतर्गत आने वाली कालावधि	27
14.	संपरीक्षा में रोकड़ बाकी आदि का सत्यापन.....	27
15.	संपरीक्षा.....	27
16.	विशेष लेखा परीक्षा	28
17.	संपरीक्षा फीस का भुगतान.....	28
18.	आपत्ति विवरणों का तैयार किया जाना	28
19.	आपत्ति विवरणों की वापिसी	28
20.	कपट या गबन की विशेष रिपोर्ट	28
21.	कतिपय परिस्थितियों में तय की गई आपत्तियों का रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाना.....	28
22.	संचालक की रिपोर्ट	28
23.	संचालक की रिपोर्ट का भाग एक.....	28
24.	संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूप	29
25.	संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रस्तुति	30
26.	स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचना तामिल कराने की पद्धति	30
27.	पंचायतों द्वारा निष्पादित किये गये अंतरित कार्यों पर संपरीक्षा रिपोर्ट	30
28.	निरस्त तथा व्यावृति	30
	प्रारूप	31 से 33

छत्तीसगढ़ अधिनियम
कमांक 43 सन् 1973
छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक 25 सितम्बर 1973 को प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में, दिनांक 01 अक्टूबर 1973 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]
छत्तीसगढ़ राज्य में स्थानीय प्राधिकारियों के प्रबन्ध या नियंत्रण के अधीन की स्थानीय निधियों के लिये तथा कतिपय अन्य निगमित तथा अनिगमित निकायों की निधियों के लिये उपबन्ध करने और उपस्थानीय निधियों तथा निधियों के संपरीक्षा का विनियमन करने के हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।
- (3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार तथा प्रारंभ

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (क) "संपरीक्षा" के अन्तर्गत आते हैं विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानिक संपरीक्षा (Resident Audit) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जिसे कि राज्य सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;
 - (ख) "संपरीक्षक" से अभिप्रेत है, संचालक तथा उसके अन्तर्गत वे समस्त अन्य अधिकारी आते हैं जो धारा 3 के अधीन इस प्रयोजन से नियुक्त किये गये हैं कि वे उसकी सहायता करेंगे;
 - (ग) "विस्तृत संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, संपूर्ण वर्ष के लेखाओं की संपरीक्षा ;
 - (घ) "संचालक" से अभिप्रेत है, धारा 3 के अधीन नियुक्त किया गया संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा तथा उसके अन्तर्गत कोई ऐसा अधिकारी आता है, जिसे उक्त धारा की उपधारा (4) के अधीन संचालक की शक्तियां प्रदत्त की गई हो ;
 - (ङ.) "स्थानीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, कोई नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, नगर सुधार न्यास, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कृषि उपज-मंडी समिति या कोई अन्य प्राधिकारी जो किसी नगरपालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध का वैध रूप से हकदार हो, या जिसे ऐसा नियंत्रण या प्रबंध राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया हो ;
 - (च) "स्थानीय निधि" से अभिप्रेत है, कोई ऐसी निधि जिसके नियंत्रण तथा प्रबन्ध के लिये कोई स्थानीय प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो और उसके अन्तर्गत किसी ऐसे उपकर रेट, शुल्क या कर जिन्हे अधिरोपित करने के लिये ऐसा प्राधिकारी वैध रूप से हकदार हो, के आगम तथा ऐसे प्राधिकारी म निहित कोई संपत्ति आती है/आते हैं ;
 - (छ) "प्रधान अधिकारी" से अभिप्रेत है :-
 - (एक) नगरपालिका निगम के मामले में, नगरपालिक आयुक्त ;
 - (दो) नगरपालिका परिषद के मामले में, अध्यक्ष ;
 - (तीन) नगर सुधार न्यास के मामले में, सभापति ;

परिभाषा

- (तीन-क) नगर पंचायत के मामले में, अध्यक्ष ;
- (चार) ग्राम पंचायत के मामले में, सरपंच ;
- (पांच) जनपद पंचायत के मामले में, अध्यक्ष ;
- (छः) जिला पंचायत के मामले में, अध्यक्ष ;
- (सात) कृषि उपज मंडी समिति के मामले में, अध्यक्ष ; और
- (आठ) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले में, उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट करें.

(ज) "विशेष संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, किसी विनिर्दिष्ट मद या मदों के कमिक समूह से संबंधित ऐसे लेखाओं की, जिनकी कि पूर्ण परीक्षा की जाना अपेक्षित है, संपरीक्षा ;

(झ) "स्थानीय संपरीक्षा" से अभिप्रेत है, व्यय की संवर्ती या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तिओं का पुनर्विलोकन.

3.(1) किसी व्यक्ति को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अतिरिक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा नियुक्त किया जा सकेगा और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, अर्थात् :-

संपरीक्षा प्राधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों की नियुक्ति

(क) संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ;

(ख) उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ;

(ग) सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ;

(घ) ज्येष्ठ संपरीक्षक स्थानीय निधि संपरीक्षा ;

(ङ) सहायक संपरीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ; और

(च) चार्टर्ड एकाउन्टेंट, धारा 3 की उपधारा (5) के अंतर्गत नियुक्त

- (2) संचालक, अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उप धारा (1) में निर्दिष्ट किये गये, अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे कि वह (राज्य सरकार) निर्देश दे, नियुक्त किये जाएंगे.
- (3) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, ऐसे क्षेत्र के भीतर जिन्हे कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करे, ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाए या सौंपे जाए.
- (4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8,9,10 तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक के पद श्रेणी से अनिम्न पद श्रेणी के किसी भी अधिकारी को ऐसे निर्बन्धनो तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए.
- (5) संचालक धारा 3 की उपधारा (1) की कंडिका (च) में निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से करेगा.
- (6) संचालक चार्टर्ड एकाउन्टेंट को उसके द्वारा किय गये संपरीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से करेगा.
- (7) चार्टर्ड एकाउन्टेंट मूल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसी मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए.

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी के ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के, जो कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, लेखें इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यक्षीन होंगे.
- (2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी हो जाने पर उसमें विनिर्दिष्ट किये गये स्थानीय प्राधिकारी के लेखे, किसी ऐसी अधिनियमिति में जिसके द्वारा ऐसा स्थानीय प्राधिकारी गठित किया गया हो, या उसके (उस अधिनियमिति के) अधीन बनाये गये किन्ही नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उपबंधित की गई रीति में समी दृष्टियों से संपरीक्षा के अध्यक्षीन होंगे.
- (3) स्थानीय प्राधिकारी ऐसी संपरीक्षा का भुगतान करने के दायित्वाधीन होगा जैसी कि राज्य सरकार समय-समय पर, उस संबंध में विनिर्दिष्ट करें ..

संपरीक्षा के लिए लेखाओं का प्रस्तुत किया जाना तथा संपरीक्षा फीस का भुगतान.

5. ऐसे स्थानीय प्राधिकारी का, जिसमें लेखाओं के संबंध में धारा 4 के अधीन यह घोषित किया गया हो कि वे इस अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यक्षीन ह, प्रधान अधिकारी अपनी स्थानीय निधियों के समस्त लेखे ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाय, प्रतिवर्ष या ऐसी कालावधियों पर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित किया जाय, संपरीक्षक को संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत करेगा या करवायेगा.

संपरीक्षा के लिये लेखाओं के प्रस्तुत किये जाने की कालावधि.

6. (1) इस अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिये संपरीक्षक -

(क) लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि लेखाओं के संबंध में ऐसे वाउचर, विवरण, विवरणी, पत्र-व्यवहार टिप्पण या कोई अन्य दस्तावेज, जिन्हे कि वह उचित समझ, स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में पेश किये जाए ;

दस्तावेजों की प्रस्तुति तथा संबंधित व्यक्तियों की हाजिरी अपेक्षित करने की संपरीक्षक को शक्ति

(ख) (एक) स्थानीय प्राधिकारी के किसी ऐसे वैतनिक सेवक से जो ऐसे वाउचरों विवरणों, विवरणियों, पत्र-व्यवहारों, टिप्पणी या अन्य दस्तावेजों के लिये उत्तरदायी हो या जिनकी अभिरक्षा या नियंत्रण में ऐसे वाउचर विवरण, विवरणियों, पत्र-व्यवहार, टिप्पण, या अन्य दस्तावेज हो, लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्वयं उपसंजात हो तथा किसी प्रश्न का उत्तर दे, या

(दो) किसे ऐसे व्यक्ति से, जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या अपने भागीदार द्वारा स्थानीय प्राधिकारी के साथ या उसके अधीन की गई किसी सविदा में कोई अंश या हित रखता हो, लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उसके समक्ष स्वयं या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा उपसंजात हो तथा किसी प्रश्न का उत्तर दे ;

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान कार्यालय में उससे (संपरीक्षक से) मिले तथा उस बिन्दु को लिखित में विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिस पर उसका (उक्त प्रधान अधिकारी का) स्पष्टीकरण अपेक्षित हो.

(2) संपरीक्षक, उपधारा(1)के अधीन की गई किसी अध्यक्षीन या किये गये किसी आमंत्रण में एक युक्तियुक्त कालावधि, जो तीन दिन से कम की नहीं होगी, नियत कर सकेगा जिसके कि भीतर ऐसी अध्यक्षीन या आमंत्रण का अनुपालन किया जायेगा.

(3) संपरीक्षक स्थानीय प्राधिकारी को उस तारीख को, जिसकी कि वह संपरीक्षा प्रारंभ करना प्रस्थापित करे, कम से कम दो सप्ताह की लिखित सूचना देगा .

परन्तु संपरीक्षक, स्वप्रेरणा से, ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अल्प सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना ही संपरीक्षा प्रारंभ कर सकेगा तथा वह राज्य सरकार का निदश हो जाने पर ऐसे कारणों से जो लिखित में अभिलिखित किये जायेंगे, अल्प सूचना देकर या कोई सूचना दिये बिना ही संपरीक्षा प्रारंभ करेगा.

- 7 (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन उसमें विधि पूर्वक की गई किसी अध्यक्षता का अनुपालन करने में जानबूझकर उपेक्षा करेगा या उस अध्यक्षता का अनुपालन करने से जानबूझकर इंकार करेगा किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने के दायित्वाधीन होगा जो पांच सौ रूपये तक का हो सकेगा.
- (2) इस धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही संचालक की लिखित मंजूरी के बिना संस्थित नहीं की जायगी.
- (3) उपधारा (2) के अधीन ऐसी मंजूरी देने के पूर्व, संचालक उस व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की जाना है, यह अपेक्षा करेगा कि वह यह हेतुक दर्शाये कि ऐसी मंजूरी क्यों न दे दी जाय.
- (4) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा.

धारा 6 के अधीन की गई अध्यक्षता की अवज्ञा करने के लिये शास्ति

8. संपरीक्षा के पूरे होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से, किन्तु उसके बाद तीन माह से अधिक पश्चात् नहीं, संचालक उन लेखाओं के संबंध में, जिनकी कि संपरीक्षा तथा परीक्षा की गई हो, एक रिपोर्ट तैयार करेगा और ऐसी रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी प्रतिलिपियां ऐसे अधिकारियों तथा निकायों को भेजेगा जिनके कि संबंध में राज्य सरकार इस बारे में निर्देश दे.
9. संचालक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित का विवरण सम्मिलित करेगा :-
- (क) ऐसा प्रत्येक संदाय जो उसे विधि के प्रतिकूल प्रतीत होता हो ;
- (ख) किसी ऐसी कमी या हानि की, जिसके कि संबंध में यह प्रतीत होता हो कि वह किसी व्यक्ति की घोर उपेक्षा या अपचार के कारण कारित हुई है, रकम ;
- (ग) किसी धनराशि की ऐसी रकम जो लेखे में लाई जानी चाहिये थी किन्तु किसी व्यक्ति द्वारा लेखे में नहीं लाई गई हो ; और
- (घ) उपर्युक्त खण्ड (क), (ख) तथा (ग) में वर्णित से भिन्न कोई अन्य सारवान् अनौचित्य या अनियमितता, कपट या दुर्विनियोग जिसे वह लेखाओं में देखे.

संपरीक्षा रिपोर्ट संबंधित स्थानीय प्राधिकारी और कतिपय अधिकारियों तथा निकायों तथा निकायों को भेजी जायेगी संपरीक्षा-रिपोर्ट की विषय-वस्तु

- 10 (1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी -
- (क) उस रिपोर्ट में बतलाई गई ऐसी त्रुटियों या अनियमितताओं को छंटवाएगा -

स्थानीय प्राधिकारी त्रुटियों को दूर करेगा

- (एक) जिन्हे वह या कार्यपालिक अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किये बिना ही दूर करने के लिए सक्षम हो ;
- (दो) जिन्हे दूर करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी ही सक्षम हो ;

धारा 8 के अधीन संचालक की रिपोर्ट के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया

- (ख) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मिलन बुलायेगा, जो सम्मिलन स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के प्रायोजनों के लिए एक ऐसा विशेष सम्मेलन समझा जायेगा जो उक्त विधि के अधीन संयोजित किया गया हो ; और
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस विशेष सम्मिलन को, जो कि खंड (ख) के अधीन बुलाया गया हो, समक्ष उस रिपोर्ट को एक ऐसे टिप्पण सहित प्रस्तुत करेगी जिसमें उन तथ्यों के बारे में, जो कि उस रिपोर्ट में वर्णित किये गये हो, स्थिति तथा वह कार्यवाही, जिसे कि वह उन तथ्यों के बारे में की जाने के लिये प्रस्तावित करें, दर्शायी जायेगी.

स्पष्टीकरण - किसी "नगरपालिक निगम" के मामले में खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रायोजनों के लिये उस नगरपालिक निगम के महापौर को नगरपालिक आयुक्त के स्थान पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी समझा जाएगा.

(1-क) यदि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी, उपधारा (1) क खण्ड (ख) द्वारा अपेक्षित प्रकार कि वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन संयोजित किये गये विशेष सम्मिलन को लागू होते ह .

स्पष्टीकरण - इस उपधारा के प्रयोजन के लिये "स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी से" अभिप्रेत है :-

(एक) नगरपालिका निगम क मामले में, नगरपालिक आयुक्त ;

(दो) नगरपालिका परिषद् या नगर पंचायत के मामले में मुख्य नगरपालिका अधिकारी ;

(तीन) नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के मामले में, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी;

(चार) (क) ग्राम पंचायत के मामले में, सचिव ;

(ख) जनपद पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ;

(ग) जिला पंचायत के मामले में, मुख्य कार्यपालन अधिकारी ;

(पांच) कृषि उपज मण्डी समिति के मामले में, सचिव ;

(छः) किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के मामले, में उसका ऐसा पदाधिकारी या अधिकारी जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट करे

(1-ख) स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी उपधारा (1) के अधीन बुलाये गये विशेष सम्मिलन में उस विषय पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विचार कर लिया जाने के पश्चात त्रुटियों सा अनियमितताओं का परिशोधन करने के लिये आवश्यक कार्यवाही करेगा तथा रिपोर्ट प्राप्त होने के चार मास के भीतर -

(क) संचालक को इस बात की प्रज्ञापना भेजेगा कि उस रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं दूर कर दी गई ; या

(ख) ऐसी त्रुटिया या अनियमितताओ के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण, जो कि स्थानीय प्राधिकारी देना चाहे, संचालक को देगा.

(1-ग) यदि स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को वह रिपोर्ट समझने में कोई कठिनाई मालूम होती है या उस बारे में कोई शंका होती है, तो वह ऐसी रीति में तथा ऐसी कालावधि के भीतर जो कि विहित की जाये, संचालक से उस रिपोर्ट के संबंध में स्थिति स्पष्ट करा सकेगा. संचालक, उन बातों को स्पष्ट करने के लिये जिन्ह कि स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को, उससे यह अपेक्षा करते हुए समन कर सकेगा कि वह स्वयं ऐसे समय पर तथा ऐसे स्थान पर और ऐसे अभिलेखों सहित, जैसा कि वह (संचालक) निर्देशित करे, उपस्थित हो या संचालक, यदि वह ऐसा करना उचित समझे अभिलेख का निरीक्षण ऐसे स्थान पर जहां कि वह रखा हुआ हो कर सकेगा".

(2) ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण के प्राप्त होने पर, संचालक अपनी रिपोर्ट में चर्चित समस्त विषयो के बारे में या उनमें से किसी के भी बारे में -

(क) स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दी गई प्रज्ञापना या दिये गये स्पष्टीकरण को प्रतिगृह्य कर सकेगा तथा आक्षेपों का प्रत्याहरण कर सकेगा ; या

(ख) यह निर्देश दे सकेगा कि आगामी संपरीक्षा के समय या किसी पूर्वतर तारीख को उस विषय के संबंध में पुनः अन्वेषण किया जाय ; या

(ग) यह मान सकेगा कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं या उनमें से कोई त्रुटियां, अनियमितता हटाई या दूर नहीं की गई ह .

(3) यदि संचालक यह मानता है कि रिपोर्ट में बतलाई गई त्रुटियां या अनियमितताएं हटाई या दूर नहीं की गई हैं, तो वह उपधारा (1-ख) के अधीन संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी द्वारा दी गई प्रज्ञापना या दिये गये स्पष्टीकरण के अपने द्वारा प्राप्त किये जाने पर या उपधारा (1-ग) के अधीन विहित की गई कालावधि का अवसान होने पर या उस दशा में जबकि स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी ऐसी प्रज्ञापना या स्पष्टीकरण देने से चूक गया हो, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, यथाशक्य शीघ्र किन्तु रिपोर्ट प्राप्त होने के अधिक से अधिक एक वर्ष के भीतर अभिकथित अपचारी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप उस धनराशि का, जिससे कि त्रुटियां या अनियमितताएं संबंधित हैं, वर्णन करते हुए विरचित करेगा उक्त आरोपों की प्रतिलिपि राज्य सरकार को अग्रेषित करने के अलावा स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भी अग्रेषित करेगा ; और

(3-क) यदि यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) में अधीन कार्यवाही नहीं करता है, तो वह इस बात के लिये दायो हो जायगा कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जाय तथा संचालक, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन आरोप विरचित करने के साथ-साथ यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा.

(4) इस धारा में कोई भी बात संचालक को भी कोई भी ऐसी जानकारी जिसके संबंध में संचालक को यह प्रतीत हो कि वह अपराधिक दुर्विनियोग या कपट की उपधारणा का समर्थन करती है या जो, उसकी राय में, विशेष ध्यान दिये जाने या तत्काल अन्वेषण किये जाने के योग्य है, राज्य सरकार के ध्यान में, ऐसी कार्यवाही की जाने के लिये, जैसी की राजस्व मंडल आवश्यक समझे लाने से किसी भी समय प्रवारित नहीं करेगी.

11. (1) यदि प्रतिकूल हेतुक दर्शित करने का संबंधित व्यक्ति को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् संचालक को यह समाधान हो जाय कि स्थानीय प्राधिकारी के किसी धन या अन्य संपत्ति की हानि, दुर्व्यय या दुरुपयोजन अपचारी व्यक्ति द्वारा किये गये अपचार या उसके द्वारा की गई घोर उपेक्षा के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप हुआ है, या यह समाधान हो जाए कि उक्त व्यक्ति अवैध संदाय कि किये जाने में या अवैध संदाय के किये जाने का प्राधिकार प्रदान करने में एक पक्षकार है, तो संचालक, लिखित आदेश द्वारा, ऐसे व्यक्ति को यह निर्देश देगा कि वह संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व ब्याज सहित ऐसी रकम का जैसी कि उस स्थानीय प्राधिकारी की, उसके धन संपत्ति की ऐसी हानि, दुर्व्यय, दुरुपयोजन के लिये प्रतिपूर्ति करने के हेतु न्यायसंगत तथा साम्यिक पाई जाय भुगतान कर दें -

संचालक अवैध संदाय के लिये या घोर उपेक्षा या अपचार द्वारा अवैध कारित हानि के लिये भारत करेगा तथा प्रभार का स्थानीय प्राधिकारी की प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किया जाना.

परन्तु :-

किसी ऐसी मद के संबंध में जो उस तारीख के, जब कि धारा 8 के अधीन रिपोर्ट स्थानीय प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी को भेजी गई थी, या उस तारीख के जिसको कि वह संचालक की जानकारी में आई है, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पांच वर्ष के पूर्व की किसी भी कालावधि के किसी लेखे में सम्मिलित की गई थी या जो उस लेखे में सम्मिलित की जानी चाहिये थी किन्तु उसमें से छोड़ दी गई प्रभार का कोई आदेश इस अधिनियम के अधीन नहीं किया जायेगा -

परन्तु यह और भी किसी मृत अपचारी व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि का दायित्व मृतक की उस सम्पत्ति की सीमा तक होगा जो कि ऐसे विधिक प्रतिनिधि को प्राप्त हुई हो .

- (2) उपधारा (1) के अधीन किये गये समस्त प्रभार संबंधित स्थानीय प्राधिकारी की अगली प्रशासन रिपोर्ट में समाविष्ट किये जायेंगे और ऐसी रिपोर्ट जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध रहेगी .
- (3) यदि वह व्यक्ति जिसे कि आदेश की प्रतिलिपी उपधारा (1) के अधीन दी जाए, उसे लेने से इन्कार करे तो उसके संबंध में यह समझा जाएगा कि वह प्रतिलिपि उसी दिन सम्यक रूपेण प्राप्त हो चुकी है जिस दिनांक को वह प्रतिलिपि लेने से उसके द्वारा इन्कार किया गया था .

अधिनियम की धारा 3 (4) के अन्तर्गत क्षेत्रीय उप संचालक तथा सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा की धारा 10 एवं 11 के अधीन विषयक संचालक की शक्तिया निम्नांकित सीमा तक प्रदत्त की है .

- 1 सहायक संचालक अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 3,000/- तक वेष्टित हो का अन्तिम निराकरण ।
- 2 उप संचालक अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 3001/- से रुपये 5000/- तक वेष्टित हो का अन्तिम निराकरण
- 3 संचालक अधिभार प्रकरण जिनमें हानि की राशि रुपये 5000/- से अधिक हो, प्रकरणों का अन्तिम निराकरण ।

मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नालिखित धाराएँ स्थापित की जाय अर्थात् -
12 (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर से कोई अपील -

धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन प्रथम अपील

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक संचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो उप संचालक को होगी .

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश ऐसे उप संचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो संचालक को होगी .

(ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो राजस्व मंडल को होगी .

- (2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो तीस दिन के भीतर की जायेगी .

13. यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक, उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के किसी ऐसे आदेश से, जो धारा 12 के अधीन किया गया हो, व्यथित हो उस तारीख से जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिये कि यथास्थिति उपसंचालक, संचालक का ऐसा आदेश अपास्त किया जाय, आवेदन—
- (एक) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक का.
- (दो) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, राजस्व मंडल
- जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे, लेने के पश्चात् प्रभार की पुष्टि करेगा उसे उपांतरित करेगा या उसका परिहार करेगा और ऐसी डिक्री पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे .
14. राजस्व मंडल या राज्य सरकार यथास्थिति धारा 12 के अधीन अपील का या धारा 13 के अधीन आवेदन का निपटारा लम्बित रहने की स्थिति में तथा व्यथित व्यक्ति द्वारा तदर्थक आवेदन किया जाने पर, एक ऐसा आदेश पारित कर सकेगी/सकेंगे जिसके द्वारा कि धारा 11 की अधीन रकम की वसूली ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसी कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, रोक दी जायेगी .
15. ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें धारा 12 के अधीन कोई अपील न की गई हो या धारा 13 के अधीन कोई आवेदन न किया गया हो संचालक के प्रमाण-पत्र में कथित की गई राशि का और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथास्थिति अपील की गई हो या आवेदन किया गया हो, धारा 12 के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश में या राजस्व मंडल या राज्य सरकार के आदेश में कथित की गई राशि का, यथास्थिति प्रमाण-पत्र या आदेश की तारीख के तीन मास के भीतर भुगतान किया जायेगा और यदि इस प्रकार भुगतान न किया गया हो तो संचालक द्वारा आवेदन किया जाने पर या संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन किया जाने पर वह कलेक्टर द्वारा इस प्रकार वसूल की जा सकेगी मानो कि वह भू-राजस्व का बकाया हो और स्थानीय प्राधिकारी की स्थानीय निधि में जमा की जा सकेगी .
16. किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपगत किये गये समस्त व्यय उसकी स्थानीय निधि में से देय होंगे .
17. राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन (राज्य सरकार की) प्रदत्त समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, के अपवाद के साथ, किसी ऐसे अधिकारी को जो कलेक्टर के पद से निम्न पद का न हो, अधिसूचना द्वारा प्रत्यायोजित कर सकेगी .
18. संचालक, प्रत्येक संपरीक्षक या कोई अधिकारी या प्राधिकारी, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो या उनका प्रयोग करने के लिये पाधिकृत किया गया हो, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (क्रमांक 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा .
19. इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा किये गये किसी आदेश को अपास्त या उपांतरित करने के लिये कोई भी वाद का अन्य कार्यवाहियां किसी सिविल न्यायालय में नहीं लाई जायेगी .

द्वितीय अपील

वसूली रोकने का निर्देश देने की शक्ति

प्रभारों की भू-राजस्व की भांति वसूली

प्रभारों आदि का भुगतान

शक्तियों का प्रत्यायोजन

संचालक, संपरीक्षक आदि लोक सेवक होंगे

वादों का वर्जन .

- 20 संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार या किसी अन्य अधिकारी को जो यथास्थिति संपरीक्षक, संचालक, राज्य सरकार के अधीनस्थ हो या उसके प्राधिकार के अधीन कार्य कर रहा हो, विरुद्ध किसी भी ऐसी बात के लिये जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या जिसका उस तरह सद्भावपूर्वक किया जा चुकना तात्पर्यित रहा हो कोई वाद अभियोजन या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी -
- सद्भावपूर्वक किये गये कार्यों के लिये संरक्षण
- 21 (1) इस धारा में -
- (क) 'निगमित निकाय' से अभिप्रेत है स्थानीय प्राधिकारी से भिन्न ऐसा निगमित निकाय जो संविधान की सप्तम अनुसूची की सूची 2 या सूची 3 के अधीन आने वाली किसी ऐसी अधिनियमिति जो राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित की गई हो तथा तत्समय प्रवृत्त हो द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो,
- (ख) 'अनिगमित निकाय' से अभिप्रेत है कोई ऐसा निकाय जो किसी लिखित या विलेख द्वारा या उसके अधीन गठित किया गया हो,
- (2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी निगमित निकाय या अननिगमित निकाय को लागू हाने और ऐसी घोषणा के किये जाने पर, यह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियम, उस अधिनियमिति या लिखत या विलेख में, जिसके द्वारा या जिसके अधीन यथाशक्ति ऐसा निगमित निकाय या अननिगमित निकाय गठित हुआ है, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, तदनुसार इस प्रकार लागू हाने मानो कि ऐसा निगमित या अननिगमित निकाय स्थानीय प्राधिकारी हो किन्तु इस उपरान्तरणा के अध्याधीन रहते हुये कि ऐसे निगमित निकाय या अननिगमित निकाय के संबंध में प्रधान अधिकारी से अभिप्रेत होगा यथास्थिति निगमित निकाय या अननिगमित निकाय का ऐसा अधिकारी जिसे कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे .
- (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी निगमित निकाय या अननिगमित निकाय को अनुसूची में जोड़ सकेगी या किसी भी निगमित निकाय या अननिगमित निकाय का अनुसूची में से लाप कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी हो जाने पर अनुसूची तदनुसार संशोधित हो जायेगी.
- 22 (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा पूर्व प्रकाशन की शर्त के अध्याधीन करते हुये, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी .
- (2) विशिष्टतया तथा पूवगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिये उपबन्ध हो सकेगे, अर्थात् -
- (क) संपरीक्षा फीस का भुगतान जो कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन किया जायेगा,
- (ख) वह प्रारूप तथा रीति जिसमें कि लेखे धारा 5 के अधीन संपरीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जायेगे,
- (ग) संपरीक्षकों की शक्तियां तथा कर्तव्य और संपरीक्षा के संचालन के लिये उनके द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और वे समय जब तथा वे स्थान जहां ऐसी संपरीक्षा की जा सकेगी .
- (घ) संचालक की शक्तियां तथा कर्तव्य,
- (ड) वे प्राधिकारी, जिनको धारा 8 के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट की प्रतिलिपियां दी जायेगी .
- नियम बनाने की शक्ति

(घ.) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 की उपधारा (1-ग) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायेगी .

(छ) कोई अन्य बात जो निहित की जानी है या विहित की जाय .

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम विधान सभा के पटल पर रखे जायेगे .

23. छत्तीसगढ़ लोकल फण्ड आडिट एक्ट, 1933 (क्रमांक 9 सन् 1933) एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है .

निरसन

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर
रायपुर, दिनांक 5 फरवरी 2004

क्र. 86/13/2004 स्था/चार- छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस संबंध में पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करत हुये राज्य सरकार, एतद् द्वारा यह घोषित करती है कि नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारियों के लेखे, उक्त अधिनियम के अधीन संपरीक्षा के अध्यधीन होंगे :-

अनुसूची

(धारा 4(1) देखिये)

- 1 समस्त नगर पालिका निगम,
- 2 समस्त नगर पालिका परिषद,
- 3 समस्त नगर पंचायते,
- 4 समस्त जिला पंचायते,
- 5 समस्त जनपद पंचायते,
- 6 समस्त ग्राम पंचायते,
- 7 छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) के अधीन समस्त कृषि उपज मंडी समिति
- 8 समस्त प्राधिकारी जो किसी नगर पालिका या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंध के लिये विधिक रूप से हकदार हो या राज्य सरकार द्वारा न्यस्त किये गये हो .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार

ए.के. विजयवर्गीय अपर मुख्य सचिव

क्रमांक 87/13/2004/स्था/चार - छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद् द्वारा, यह निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त निगमित तथा अनिगमित निकायों को लागू होंगे .

अनुसूची

(धारा 21 (3) देखिये)

(क) राज्य विधान मंडल द्वारा अधिनियमित की गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित किये गये विश्वविद्यालय तथा उनके संघटक महाविद्यालय -

1. पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
2. इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर,
3. गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर,
4. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़,
5. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर .

(ख) छत्तीसगढ़ बोर्ड -

1. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर,
2. बोर्ड आफ होमियोपैथिक एण्ड बायोकेमिक सिस्टम आफ मेडीसीन, छत्तीसगढ़,
3. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अधीन समस्त समितियां .

(ग) न्यास निधियां -

1. दुष्माधारी वैष्णव न्यास निधि, संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर,
2. राय बहादुर जगन्नाथ राव दानी ट्रस्ट फण्ड, रायपुर,
3. राय साहेब जगन्नाथ तिवारी ट्रस्ट फण्ड, रायपुर,
4. राजगामी संपदा निधि, राजनांदगांव,
5. रानी सुर्यमुखी देवी गोल बाजार ट्रस्ट फण्ड, राजनांदगांव,
6. माफी टेम्पल ट्रस्ट जगदलपुर,
7. बोर्ड आफ वाइस भरतचंद भजदेव ट्रस्ट, जगदलपुर,
8. माफी टेम्पल ट्रस्ट स्टेट, दन्तेवाड़ा,
9. मां सिंहवाहिनी मंदिर ट्रस्ट, कांकेर (बस्तर) .

(घ) राज्य सरकार की सहायता अनुदान प्राप्त करने वाली समस्त गैर सरकारी, शैक्षणिक तथा तकनीकी संस्थाएं

(ङ) अन्य संस्थाएं –

1. अशासकीय पालीटेक्निक्स,
2. छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर,
3. मुख्य मंत्री सहायता कोष के लेखे,
4. संचालक स्थानीय संस्थाएं छत्तीसगढ़ में स्थापित पेन्शन फण्ड,
5. संचालक स्थानीय संस्थाएं छत्तीसगढ़ में टेक्निकल फण्ड,
6. रोगी कल्याण समिति,
7. जिला शहरी विकाय अधिकरण,
8. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर .

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से एवं आदेशानुसार

ए.के. विजयवर्गीय, अपर मुख्य सचिव

छत्तीसगढ़ अधिनियम

क्रमांक 14 सन् 1978

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1978

[दिनांक 26 मई 1978, को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 5 जून 1978 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम 1973 को संशोधित करने हेतु अधिनियम भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियम हो -

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1978 है . संक्षिप्त नाम

2. मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो धारा 3 का इसमें इसके पश्चात अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 3 की उपधारा (4) संशोधन, के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जावे, अर्थात् -

“(4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8,9,10 तथा 11 के अधीन की संचालक की समस्त शक्तियां या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि लेखा के सहायक संचालक के पद से अनिम्न पद के किसी अधिकारी को प्रदत्त कर सकेगी”.

3. मूल अधिनियम की धारा 10 में - धारा का 10 संशोधन

(1) धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के पैंतालीस दिन के भीतर, स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी -

(क) उस रिपोर्ट में बतलाई गई ऐसी त्रुटियां या अनियमितताओं को छांटेगा या छटवाएगा -

(एक) जिन्हें वह या कार्यपालिक अधिकारी स्थानीय प्राधिकारी को निर्दिष्ट किये बिना दूर करने के लिये सक्षम हो,

(दो) जिन्हें दूर करने के लिये स्थानीय प्राधिकारी ही सक्षम हो,

(ख) स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस रिपोर्ट पर विचार करने के लिए स्थानीय प्राधिकारी का एक विशेष सम्मिलन बुलायेगा, जो सम्मिलन कि स्थानीय प्राधिकारी से संबंधित विधि के प्रायोजन के लिये एक ऐसा विशेष सम्मिलन समझा जायेगा जो उक्त विधि के अधीन संयोजित किया गया हो, और

(ग) स्थानीय प्राधिकारी के उस विशेष सम्मिलन के जो कि खंड (ख) के अधीन बुलाया गया हो, समक्ष उस रिपोर्ट को एक ऐसे टिप्पण सहित प्रस्तुत करेगा, जिसमें उन तथ्यों के बारे में, जो कि उस रिपोर्ट में वर्णित किये गये हो, स्थिति तथा वह कार्यवाही जिसे कि वह उन तथ्यों के बारे में की जाने के लिये प्रस्तावित करे, दर्शाई जायेगी .

स्पष्टीकरण - "किसी नगरपालिक निगम" के मामले में खण्ड (ख) तथा (ग) के प्रयोजनों के लिये उस नगर पालिक निगम के महापौर को नगरपालिक आयुक्त के स्थान पर स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी समझा जायेगा.

(तीन) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाय, अर्थात्-

(3-क) यदि यथास्थिति स्थानीय प्राधिकारी का प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी का कार्यपालिक अधिकारी उपधारा (1) या उपधारा (1-क) या उपधारा (1-ख) या उपधारा (1-ग) के अधीन कार्यवाही नहीं करता है तो वह इस बात के लिये दायी हो जायेगा कि उसके विरुद्ध आरोप विरचित किये जायं तथा संचालक, उपधारा (1-ख) में वर्णित चार मास की कालावधि का अवसान हो जाने पर, अभिकथित अपचारी व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध उपधारा (3) के अधीन आरोप विरचित करने के साथ-साथ यथास्थिति प्राधिकारी के प्रधान अधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी के कार्यपालिक अधिकारी के विरुद्ध भी आरोप विरचित कर सकेगा .

4. मूल अधिनियम को धारा 11 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में से खण्ड (दो) को लोप किया जाय . धारा 11 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (2) के खण्ड (ड) के पश्चात निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाय अर्थात् धारा 22 का संशोधन

"(ड.ड.) वह रीति जिसमें तथा वह समय जिसके भीतर कि रिपोर्ट के संबंध में धारा 10 के उपधारा (1-ग) के अधीन स्थिति स्पष्ट कराई जायेगी ।"

6. जहाँ किसी मामले में मूल अधिनियम की धारा 8 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर - धारा 10 तथा 11 के अधीन की व्यपगत की व्यपगत कार्यवाहियों का पुनः प्रवर्तन .

(क) आरोप इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उस कालावधि के भीतर जो कि धारा 10 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट है, विरचित नहीं किया गया था, या

(ख) प्रभार का आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व उस कालावधि के भीतर, जो कि धारा 11 की उपधारा (1) के परन्तुक के खंड (दो) में विनिर्दिष्ट है, नहीं किया गया था .

वहां, भले ही मूल अधिनियम में कोई भी बात क्यों न हो, आरोप विरचित करने या प्रभार का आदेश करने संबंधी वे कार्यवाहियां, जो व्यपगत हो चुकी थी, ऐसा प्रारंभ होने पर पुनः प्रवर्तित हो जायेगी तथा इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के भीतर यथास्थिति आरोप विरचित किया जा सकेगा या प्रभार का आदेश किया जा सकेगा ।

परिशिष्ट क्रमांक 2
छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 20 सन् 1979)

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 1979

[दिनांक 1 जून 1979 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 11 जून 1979 को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम 1973 को संशोधित करने हेतु अधिनियम दृ

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो -

- | | | |
|----|--|-------------------|
| 1. | इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) 1979 अधिनियम है. | संक्षिप्त नाम |
| 2. | मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् धारा 2 संशोधन का मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 में
(एक) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए अर्थात्—
(क) - "संपरीक्षा" के अंतर्गत आता है विस्तृत संपरीक्षा, विशेष संपरीक्षा, स्थानीय संपरीक्षा (रेजीडेंट आडिट) तथा ऐसी अन्य संपरीक्षा जैसी कि राज्य सरकार, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे .
(दो) खंड (घ) में शब्द "स्थानीय निधि लेखा" के स्थान पर "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जाए और
(तीन) खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अतः स्थापित किया जाय, अर्थात् -
(झ) "स्थानीय संपरीक्षा" से अभिप्रेत है व्यय की संवर्ती या पूर्व संपरीक्षा तथा प्राप्तियों का पुनर्विलोकन. | धारा 2 का संशोधन |
| 3. | मूल अधिनियम की धारा 3 में -
(एक) जहां कहीं भी शब्द "स्थानीय निधि लेखा" आये हों वहां उनके स्थान पर शब्द "स्थानीय निधि संपरीक्षा" स्थापित किये जायं
(दो) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाय, अर्थात् -
(4) "राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा धारा 8,9,10, तथा 11 के अधीन संचालक की समस्त शक्तियों या उनमें से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक की पद श्रेणी से अनिम्न पदश्रेणी के किसी अधिकारी को ऐसे निबंधनो तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाय" | धारा का 3 संशोधन |
| 4. | मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (3) में शब्द "विनिश्चय" के स्थान पर शब्द "आदेश" स्थापित किया जाये. | धारा 11 का संशोधन |

5. मूल अधिनियम की धारा 12 तथा 13 के स्थान पर निम्नलिखित धारायें स्थापित की जायं अर्थात् -

धारा 12 तथा 13 के स्थान पर नवीन धाराओं का स्थापन प्रथम अपील

12 (1) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन के प्रत्येक आदेश पर कोई अपील-

(क) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश किसी सहायक संचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, उपसंचालक को होगी.

(ख) उस दशा में जबकि ऐसा उप संचालक द्वारा जिसे कि उस धारा के अधीन संचालक की शक्तियों से विनिहित किया गया हो, पारित किया गया हो, संचालक को होगी.

(ग) उस दशा में जबकि ऐसा आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को होगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अपील उस तारीख से जिसको कि वह आदेश अपील करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर की जायगी.

13 यथास्थिति स्थानीय निधि संपरीक्षा का सहायक संचालक उप संचालक या संचालक तथा कोई भी ऐसा व्यक्ति जो स्थानीय निधि संपरीक्षा के उप संचालक या संचालक के अमवा आयुक्त के किसी ऐसे आदेश से जो धारा 12 के अधीन किया गया हो व्यथित हो उस तारीख से जिसको कि उसे वह आदेश प्राप्त हुआ हो, तीस दिन के भीतर इस बात के लिये कि यथास्थिति उप संचालक, संचालक या आयुक्त का ऐसा आदेश अपास्त किया जाय आवेदन-

द्वितीय अपील

(एक) उस दशा में जबकि धारा 1 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश उप संचालक द्वारा पारित किया गया हो, संचालक को,

(दो) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश संचालक द्वारा पारित किया गया हो, आयुक्त को,

(तीन) उस दशा में जबकि धारा 12 के अधीन प्रथम अपील में वह आदेश आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो, राजस्व मंडल को,

कर सकेगा जो पक्षकारों की सुनवाई करने तथा ऐसा साक्ष्य जैसा कि वह सुसंगत तथा आवश्यक समझे लेने के पश्चात् प्रभार की पुष्टि करेगा, उसे उपान्तरित करेगा या उसका परिहार करेगा और एसी डिको पारित करेगा तथा खर्च के संबंध में ऐसे आदेश करेगा जैसा कि वह ठीक समझे और ये आदेश अंतिम होंगे.

परिशिष्ट क्रमांक 3
छत्तीसगढ़ अधिनियम
क्रमांक 14 सन् 2003

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2003

[दिनांक 31 मई 2003 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "छत्तीसगढ़ राजपत्र" (असाधारण) में दिनांक 06 जून 2003 को प्रथम बार प्रकाशित की गई]

छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 परिशिष्ट (क्रमांक 1943 सन् 1973) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के चौवनवे वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2003 है । संक्षिप्त नाम
2. यह अधिनियम संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होगा और राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा । प्रारंभ
- 3(1) छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम 1973 (क्रमांक 43 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 2 की कड़िका (ड) में उल्लेखित शब्द " अधिसूचित क्षेत्र समिति" का लोप किया जाए । धारा 2 में संशोधन
 - (2) मूल अधिनियम की धारा 2 की कड़िका (छ) के परन्तुक (दो) में उल्लेखित शब्द "या अधिसूचित क्षेत्र समिति" का लोप किया जाए ।
 - (3) मूल अधिनियम की धारा 2 की कड़िका (ड) के शब्द नगर पालिका परिषद के पश्चात् शब्द "नगर पंचायत" जोड़ा जाए ।
 - (4) धारा 2 की कड़िका (छ) के परन्तुक (तीन) के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाय— (तीन—क) "नगर पंचायत" के मामले में "अध्यक्ष" जोड़ा जाए ।
 - (5) मूल अधिनियम की धारा 2 की कड़िका (छ) के परन्तुक (छ) में शब्द "सभापति" के स्थान पर "अध्यक्ष" स्थापित किया जाए ।
4. मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए अर्थात्:- धारा 3 के स्थान पर नवीन धारा का स्थापन
 - (1) धारा 3 (1) - किसी व्यक्ति को संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा एवं अतिरिक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा नियुक्त किया जा सकेगा और उसकी सहायता के लिये निम्नलिखित प्रवर्ग के अधिकारी नियुक्त किये जा सकेंगे, अर्थात् :- धारा 3 के स्थान पर नवीन धारा का स्थापना
 - (क) संयुक्त संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ;
 - (ख) उप संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ;
 - (ग) सहायक संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा ;
 - (घ) ज्येष्ठ संपरीक्षा स्थानीय निधि संपरीक्षा ;
 - (ङ) सहायक संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा ; और
 - (च) चार्टर्ड एकाउन्टेंट, धारा 3 की धारा (5) के अंतर्गत नियुक्त

- (2) संचालक, अतिरिक्त संचालक, संयुक्त संचालक, उप संचालक तथा सहायक संचालक, स्थानीय निधी संपरीक्षा राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे और उप धारा (1) में निर्दिष्ट किये गये, अन्य अधिकारी राज्य सरकार द्वारा या ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसे कि वह (राज्य सरकार) निर्देश दे, नियुक्त किये जाएंगे ।
- (3) उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किया गया अधिकारी, ऐसे क्षेत्र के भीतर जिन्हे कि नियुक्ति प्राधिकारी विनिर्दिष्ट करें, ऐसी शक्तियों को प्रयोग करेगा तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त की जाये या सौंपे जाए ।
- (4) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, धारा 8, 9, 10 तथा 11 के अधीन संपरीक्षा के सहायक शक्तियां या उनमे से कोई भी शक्ति स्थानीय निधि संपरीक्षा के सहायक संचालक के पद श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के किसी भी अधिकारी को ऐसे निर्बंधनों तथा शर्तों के साथ प्रदत्त कर सकेगी जो कि ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए ।
- (5) संचालक धारा 3 की उपधारा (1) की कंडिका (घ) में निर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेंट की नियुक्ति प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पैनल से करेगा ।
- (6) संचालक चार्टर्ड एकाउन्टेंट को उसके द्वारा किये गये संपरीक्षा कार्य हेतु पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर से करेगा ।
- (7) चार्टर्ड एकाउन्टेंट मूल अधिनियम की धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा एवं ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जैसी कि मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए ।
- 5 (1) मूल अधिनियम की धारा 10 की कंडिका (1-क) के स्पष्टीकरण के खण्ड (दो) में शब्द "अधिसूचित क्षेत्र समिति " के स्थान पर "नगर पंचायत" स्थापित किया जाए ।
- (2) मूल अधिनियम की धारा 10 की कंडिका (1.क) के स्पष्टीकरण के खण्ड (चार) के उपखण्ड (ग) में शब्द सचिव के स्थान पर शब्द "मुख्य कार्य पालन अधिकारी" स्थापित किया जाए ।
- (3) मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (3) एवं (4) में उल्लिखित शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द " राजस्व मंडल " स्थापित किया जाए ।
- 6 मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द " राजस्व मंडल" स्थापित किया जाए ।
- 7 (1) मूल अधिनियम की धारा 12 में शब्द 'के अलावा आयुक्त' एवं शब्द "या आयुक्त" को विलोपित किया जाए ।
- (2) मूल अधिनियम की धारा 13 की कंडिका (दो) में शब्द "आयुक्त" के स्थान पर शब्द " राजस्व मंडल" स्थापित किया जाए ।
- (3) मूल अधिनियम की धारा 13 की कंडिका (तीन) विलोपित किया जाए ।
- 8 मूल अधिनियम की धारा 14 में शब्द आयुक्त को विलोपित किया जाये ।

धारा 10 में संशोधन

धारा 12 में संशोधन


धारा 13 में संशोधन

धारा 14 में संशोधन

VERIFIED


REGISTRAR
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)

FINANCE OFFICER
Pt. Sunderlal Sharma (Open)
University, Chhattisgarh
BILASPUR (C.G.)


Dr. Prakriti James
In-charge NAAC Criteria-VI
PSSOU, CG Bilaspur